



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

एन.एच.एम. भवन लिंग रोड नं. 3, पत्रकार कालोनी भोपाल (462003)

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/8749 भोपाल, दिनांक 25/05/2021

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति क्र.-जी-16760/20 के तहत मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेम्स लिमिटेड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर नियम पुस्तिका (2020-2021) का प्रकाशन किया गया था जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि को विज्ञप्ति क्र.-जी-20660/20 के द्वारा दिनांक 20/03/2021 निर्धारित की गई थी।

उपरोक्त प्रकाशित संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के विज्ञापन में निम्न संशोधन किया जाता है:-

1. जिलों की स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड-19 अंतर्गत लगातार न्यूनतम 89 दिवस कार्य करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक (Weightage) दिया जायेगा।
2. इस हेतु आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति सेम्स लिमिटेड की वेबसाईट (www.sams.co.in) पर अपलोड करनी होगी जिसके लिए आवेदक को इस शुद्धिपत्र के उपरान्त प्रकाशन दिनांक 01/06/2021 से 22/06/2021 तक का समय दिया जावेगा।
3. उपरोक्त संविदा सेवा 31 मार्च, 2022 तक के लिए होगी, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृति अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
4. नियम-पुस्तिका (2020-2021) की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश